## LIST OF AGENTS FOR 1967.

1. Messrs. Etwari Sahu & Sons, Mahendru, Patna—6.
2. Messrs. Motilal Banarsi Das, Book-sellers, Bankipur, Patna.
3. Messrs. Choudhary & Sons, Law Book-sellers, Mahendru, Patna-6.
4. Messrs. Western Law House, Station Road, Patna.
5. Messrs. Paper Stationery Stores, D. N. Singh Road, Bhagalpur-2.
6. Messrs. Pahuja Brothers, Law Book-seller and Publishers Patna-6
7. Messrs. Laxmi Trading Co., Padri-ki-Haveli, Patna City.
8. Messrs. Bais Vijaya Press, Jail Road, Arrah.
9. Messrs. The Amalgamated Press, 41, Hamam Street, P. Box No. 325, Bombay-1 br.
10. Messrs. Bengal Law House, Book-sellers and Publishers, Chawhatta, Patna.
11. Messrs. Rajkamal Prakashan(Private) Ltd., Patna-6.
12. Messrs. Pustak Mahal, Ranchi.

(२) क्या यह बात सही है कि इस रोड के खराब हो जाने से आवागमन का कार्य अवरुद्ध हो गया है ;

(३) क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि इस रोड को अविलम्ब लोक-निर्माण विभाग में लेकर जनता को उसकी खराबी के कारण पहुंचे महान कष्ट को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

मंत्री, लोक-निर्माण विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) यह सड़क अभी लोक-निर्माण विभाग के अन्दर नहीं है । अतः इसकी वर्त्तमान स्थिति की जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(३) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अभी सरकार के विचाराधीन है । अतः इस संबंध में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है ।

---

जिला पर्षद् की सड़क को सरकार द्वारा अपने कब्जे में लेना

त-७१। श्री अनूप लाल यादव—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या सरकार सहरसा जिलान्तर्गत जिला पर्षद् सड़क नम्बर १८ दरभंगा से पूर्णियां को अपने कब्जे में लेने का इरादा रखती है, अगर हां; तो कब तक और नहीं तो क्यों ;

(२) क्या सरकार रोड नम्बर १५ बसहा से बैजनाथपुर, स्टेशन वाली सड़क भी अपने कब्जे में लेना चाहती है कि नहीं ?

मंत्री, लोक-निर्माण विभाग—(१) अभी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का निर्णय नहीं हो पाया है, अतः इस संबंध में अभी कुछ कहना संभव नहीं है ।

(२) सरकार की वित्तीय स्थिति दयनीय है, अतः फिलहाल इस सड़क को लेना अभी संभव नहीं है ।

---

सहरसा जिला में सड़क का निर्माण

त-७२। श्री असेश्वर गोईत—क्या लोक-निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के सिमराही बाजार से प्रतापगंज जाने वाली सड़क में चिलौनी पे लहोधाट के नजदीक सड़क का कुछ अंश पक्का नहीं हो सका है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क-निर्माण के लिये जो राशि स्वीकृत की गई थी वह खर्च हो चुकी है और सड़क भी बनने में बाकी है ;

(३) यदि खंड (१) और (२) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उस अधूरे काम को पूरा करने का कब तक सरकार विचार करती है ?

मंत्री, लोक-निर्माण विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) प्रथम भाग का उत्तर नकारात्मक है। इस पथ में बेलहीधार पर एक उच्चस्तरीय पुल निर्माण तथा उसके उपगम के लिये १,००० फीट पथ का कार्य बाकी है।

(३) बेलहीधार पर पुल निर्माण हेतु कोशी विभाग से कुछ जलीय आंकड़ा प्राप्त करना है चूंकि वे लोग इस धार में कुछ अतिरिक्त पानी छोड़ना चाहते हैं। जब तक कोशी विभाग का कार्यक्रम ठीक नहीं हो जाता है तब तक इस पुल के निरूपण में कठिनाई है। पूर्ण आंकड़ा प्राप्त होने के बाद ही इस पुल की रूपरेखा तैयार की जायगी और कार्य आरम्भ होगा। कोशी विभाग से इस कार्य के लिए बराबर पत्राचार जारी है।

सड़कों का पक्कीकरण

त-७४। श्री सरयू सिंह—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ योजना में गया जिला की किन-किन सड़कों को सरकार पक्कीकरण करने जा रही है एवं उनमें प्राथमिकता किसे दी जायगी?

मंत्री, लोक-निर्माण विभाग—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इस योजना में कौन-कौन सड़क ली जायगी।

कार्यपालक पदाधिकारी को वापस लेना

ज-२५। श्री कमलदेव नारायण सिंह—क्या मंत्री, स्थानीय स्व-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां नगरपालिका के सदस्यों ने एक सभा में सर्व-सम्मत से कार्यपालक पदाधिकारी श्री बलदेव प्रसाद के प्रति असंतोष प्रकट किया है और बिहार म्युनिसिपल नियम, १९६५ की धारा ३७(ए) के अनुसार राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें अविलम्ब उक्त नगरपालिका की सेवा से वापस लेकर अन्यत्र स्थानान्तरण कर दे;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त नियमावली के अनुसार नगरपालिका के सदस्यों द्वारा मांग करने पर कार्यपालक पदाधिकारी को वापस ले लेना सरकार के लिये लाजिमी है;

(३) यदि खंड (१) तथा (२) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगरपालिका की सेवा से श्री प्रसाद को वापस ले लेने का विचार रखती है, यदि हां; तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

मंत्री, स्थानीय स्व-शासन विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) जिलाधिकारी, पूर्णियां से प्रतिवेदन मांगा गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जायगी।